क.

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

आय कर विभाग आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II

(सिविल अपील सं. 1554)

22 फरवरी, 2022

[उदय उमेश ललित और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961:धारा 37 (1), स्पष्टीकरण 1-दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों आदि को मुफ्त उपहार देना कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है और धारा 37 के तहत कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं है।37(1) अधिनियम का-भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के माध्यम से चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब निरस्त) में एक संशोधन, जो 14.12.2009 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ, चिकित्सा व्यवसायियों को अन्य बातों के साथ-साथ उपहार, यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य, नकद या मौद्रिक अनुदान के रूप में परिलब्धि स्वीकार करने से रोकता है-01.08.2012 पर, सीबीडीटी ने एक परिपत्र भी जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों को प्रोत्साहन (यानी "मुफ्त उपहार") के वितरण के लिए किए गए खर्च स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अयोग्य हैं।37(1), जो किसी भी उद्देश्य के लिए लाभ के आवेदन से इनकार करता है जो एक 'अपराध' या 'कानून द्वारा निषिद्ध' है-जब मुफ्त उपहारों की स्वीकृति एमसीआई द्वारा दंडनीय है (दंड की सीमा और चिकित्सा व्यवसायी पर लगाए गए प्रतिबंध तक की मंजूरी), तो दवा कंपनियों को ऐसे मुफ्त उपहार प्रदान करने के लिए कर लाभ नहीं दिया जा सकता है, और इस तरह (सक्रिय रूप से और पूर्ण ज्ञान के साथ) उस अधिनियम को लागू करने में सक्षम बनाया जा सकता है जो इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को आकर्षित करता है-डॉक्टर और फार्मासिस्ट चिकित्सा पेशे में एक दूसरे के पूरक और पूरक होने के कारण, समकालीन वैधानिक व्यवस्थाओं और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके आचरण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए-इसलिए, कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है-केवल उस कार्य में इसकी भागीदारी जो स्पष्ट रूप से एक अपराध है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

यह प्रदर्शित किया कि एक डॉक्टर के पर्चे में हेरफेर किया जा सकता है, और दवा कंपनियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से संचालित किया जा सकता है, जिसमें सोने के सिक्के, फ्रिज और एलसीडी टीवी जैसे उपहारों से लेकर छुट्टियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के वित्तपोषण या चिकित्सा सम्मेलनों में भाग लेने तक शामिल हैं-ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से 'मुफ्त' नहीं हैं-इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार एक स्थायी सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र पैदा होता है-2002 के नियम, जो सभी चिकित्सा चिकित्सकों (निजी प्रैक्टिस में डॉक्टरों सहित) पर लागू होते हैं, डब्ल्यू. ई. एफ.37(1) – ऐसा करने से सार्वजनिक नीति पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी।

ग

विधियों की व्याख्याःकर विधियों की व्याख्या-कर विधियों की सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है-आयकर अधिनियम, 1961।

डी.

जमाल उद्दीन अहमद बनाम अबू सालेह नजमुद्दीन और अन्र।

(2003) 4 एससीसी **257:[2003] 2** एस**.** सी**.** आर**. 473-**पर निर्भर।

डी**.** सी**.** आई**.** टी**. 8 (2)** मुंबई बनाम पी**.** एच**.** एल**.** फार्मा पी**.** लिमिटेड **20** आई**.** टी**.** ए**.** नं**.**

4605/मम/2014, दिनांक 12.01.2017; मैक्स अस्पताल

पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद आयकर

ई.

अपील सं. 485/2008 पर निर्णय लिया गया 18.07.2017; अधिकतम

अस्पताल पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद डब्ल्यू**.** पी**.**

(ग**)** सं**. 1334/2014/**आईएलआर **(2014) 1** दिल्ली **620,** दिनांकित

10.01.2014 ; डॉ. अनिल गुप्ता बनाम एडिशनल।के आयुक्त

आयकर, आयकर अपील सं. 485/2008, ने निर्णय लिया

18.07.2017 पर**;** बर्जर पेंट्स लिमिटेड बनाम आयुक्त

च

आयकर (2004) 12 एस. सी. सी. 42:[2004] 2 एससीआर 502;

साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त,

2011/2021 की सिविल अपील संख्या **9606** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**.**

692, दिनांकित **09.09.2021;** टी**.** ए**.** कुरैशी बनाम आयुक्त

आयकर विभाग, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759:[2006] 10

जी.

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 311;** आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स खेमचंद मोतीलाल जैन **2011 (4)** एम**.** पी**.** एल**.** जे**. 691;** आयकर निदेशक बनाम डेयरी फार्मिंग **(**पी**.)** लिमिटेड**, (2018)**

13 एससीसी 239:[2017] 11 एससीआर 1118; कंवरजीत सिंह कक्कड़ बनाम पंजाब राज्य (2011) 13 एससीसी 158:[2011]

एच.

128 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

6 एससीआर **895;** पी**.** वी**.** नरसिंह राव बनाम राज्य **(**सी**.** बी**.** आई**./**एस**.** पी**.** ई**.)**

(1998) 4 एससीसी 626:[1998] 2 एस. सी. आर. 870; बिहारीलाल जैसवाल बनाम सी. आई. टी. (1996) 1 एस. सी. सी. 443:[1995] 5 पूरक।एससीआर

285; मड्डी वेंकटरमन एंड कंपनी **(**पी**)** लिमिटेड बनामसी**.** आई**.** टी**. (1998)**

2 एससीसी 95:[1997] 6 पूरक।एस. सी. आर. 67; सी. आई. टी बनाम पं.

विश्वनाथ शर्मा 1999 का आई. टी. आर. सं. 27, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक 21.02.2008 (31); सी. डब्ल्यू. एस. (इंडिया) लिमिटेड बनामसी. आई. टी. 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 296; बिहारी लाल जयसवाल और अन्य बनामआयकर आयुक्त और अन्य। (1995) पूरक (5) एससीआर 285; जागीर सिंह बनाम रणबीर सिंह और अन्य। [1979] 2 एससीआर 282; जी. टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू (डी) एल. रु. और

ओआरएस। 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 60; आय आयुक्त -

ग

कर बनाम कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पी**.** लिमिटेड **(2012)**

344 आईटीआर 476 (पी एंड एच एचसी); भारतीय परिसंघ

औषधि उद्योग (एस. एस. आई.) बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड

कर (2013) 353 आई. टी. आर. 388 (एच. पी. एच. सी)-निर्दिष्ट।निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

[2004] 2 एससीआर **502**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

[2006] 10 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 311** पैरा **7 [2017] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1118** पैरा **10 [2011] 6** एस**.** सी**.** आर**. 895**

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1998] 2 एससीआर **870**

पर भरोसा किया

पैरा **26 [1995] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 285** पैरा **30 [1997] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 67** पैरा **30** को संदर्भित **[1994]** सप्लीमेंट **2** एस**.** सी**.** सी**. 296** पैरा **33** को संदर्भित **[1995]** सप्लीमेंट **5** एस**.** सी**.** आर**. 285** पैरा **35** को संदर्भित **[1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 282**

च

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1554

2022.

2018 के कर मामले की अपील No.723 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.03.2019 से।

एच.

129

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग, बड़ा कर दाता इकाई-II ए

क.

एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. सुंदर रामनाथन, एम. पी. देवनाथ, विवेक पांडे, सुश्री हर्षप्रीता श्रीधरन, ईशान चक्रवर्ती, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

संजय जैन, ए. एस. जी., सुश्री रश्मि मल्होत्रा, सौरभ मिश्रा, दीपक गोयल, सुघोश सुब्रमण्यम, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई. अपीलार्थी (इसके बाद, "शीर्ष") मद्रास 1 के उच्च न्यायालय के एक निर्णय से व्यथित है, जिसमें खंड पीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 2 (इसके बाद, "आई. टी. ए. टी".) के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसने बदले में आयकर आयुक्त (अपील) 3 (इसके बाद, "सी. आई. टी. (ए)") के एक आदेश को बरकरार रखा।सी. आई. टी. (ए) ने प्रतिवादी आयकर 4 के उपायुक्त के एक आदेश से आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी थी, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, "आई. टी. अधिनियम") की धारा 37 (1) के तहत एपेक्स द्वारा दावा की गई राशि को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

ग

डी.

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंःआई. डी. 1 पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (इसके बाद, "सी. बी. डी. टी".) ने एक परिपत्र 5 जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि चिकित्सा व्यवसायियों को प्रोत्साहन (यानी "मुफ्त उपहार") के वितरण के लिए दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किए गए खर्च धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण 1 के लाभ के लिए अयोग्य हैं, जो किसी भी उद्देश्य के लिए लाभ के आवेदन से इनकार करता है।

ई.

एक 'अपराध' या 'कानून द्वारा निषिद्ध' है।

3. सर्कुलर जारी होने के बाद, 22.11.2012 पर, एपेक्स को आईटी अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि स्वास्थ्य पूरक 'ज़िंकोविट' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों को आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, एलसीडी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि जैसे मुफ्त उपहार देने के लिए किए गए 4,72,91,159/- के खर्च को एपेक्स की कुल आय में वापस क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।4. नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा केवल आंशिक भत्ते का कारण यह था कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अब

₹

च

जी.

1 2018 का कर मामला अपील सं. 723, दिनांक 18.03.2019।2 आई. टी. अधिनियम संख्या 1153/एम. डी. एस./2014, दिनांक 29.01.2018।3 आई. टी. ए. सं. 10/13-14 एल. टी. यू. (ए), दिनांक 29.01.2014।4 जी. आई. No./PAN एएएसीए 5174 जी, दिनांक 21.03.2013।5 परिपत्र सं. 5/2012 [एफ. सं. 225/142/2012-ITA.II]।6 नहीं। एमसीआई-211 (1)/2009 (नैतिकता)/5567।

एच.

भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 (इसके बाद, "2002 विनियम") के माध्यम से, 14.12.2009 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, चिकित्सा व्यवसायियों को अन्य बातों के साथ-साथ उपहार, यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य, नकद या मौद्रिक अनुदान के रूप में परिलब्धि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई।7 इस तरह के मुफ्त उपहारों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप चिकित्सा व्यवसायियों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं, 5,000/- तक प्राप्त प्रोत्साहन के लिए 'निंदा' से लेकर तीन महीने से एक साल तक की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर से हटाने तक।8 इसलिए, केवल आई. डी. 1 तक किए गए खर्च धारा 37 (1) के लाभ के लिए पात्र थे, न कि मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 की संपूर्णता के लिए, जैसा कि एपेक्स द्वारा दावा किया गया था।

₹

ग

एपेक्स के विवाद

5. एपेक्स के वकील, श्री एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि 2002 के संशोधित नियम एपेक्स पर लागू नहीं थे, यानी दवा कंपनियां उनसे बाध्य नहीं थीं।जबकि चिकित्सा व्यवसायियों को मुफ्त उपहार स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें उपहार देने वाली दवा कंपनियों पर किसी भी बाध्यकारी मानदंड के रूप में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।कानून द्वारा किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में, एपेक्स को धारा 37 (1) के तहत ऐसे मुफ्त उपहारों की आपूर्ति पर किए गए खर्च के अपवर्जन की मांग के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

6. वकील ने यह स्थापित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया कि 2002 के विनियम केवल चिकित्सा व्यवसायियों के खिलाफ लागू करने योग्य थे, न कि दाताओं के खिलाफ, यानी फार्मास्युटिकल।

कंपनियाँ।मैक्स अस्पताल पीतमपुरा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद 9

(इसके बाद, "मैक्स अस्पताल") दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद, "एमसीआई") के पास अपीलकर्ता अस्पताल के खिलाफ कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, और एमसीआई द्वारा अस्पताल के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया गया था।समान रूप से, डॉ. अनिल गुप्ता बनाम.

च

एडल्ट।आयकर आयुक्त 10, राजस्थान की एक खंड पीठ

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को स्पष्टीकरण के रूप में धारा 37 (1) का लाभ दिया।

जी.

7 आईडी., विनियमन 6.8, फार्मास्युटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग के साथ उनके संबंधों में डॉक्टरों के लिए आचार संहिता।

8 विनियम 6.8।1, अधिसूचना सं. एमसीआई-211 (1)/2010 (नैतिकता)/163013,01.02.2016 पर जारी किया गया।

9 डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 1334/2014/आई. एल. आर. (2014) 1 दिल्ली 620, दिनांक 10.01.2014।10 आयकर अपील सं. 485/2008,18.07.2017 पर निर्णय लिया गया।

एच.

131

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

1 प्रत्यर्थी द्वारा पहली बार अपीलीय स्तर पर नहीं उठाया जा सका, यह देखते हुए किः

“ अन्यथा भी आयकर कार्यवाही में चिकित्सा नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।कम से कम भले ही यह एक पेशेवर कदाचार हो, लेकिन इससे भारतीय चिकित्सा परिषद को निपटना होगा।आयकर प्राधिकरण चिकित्सा नैतिकता तय नहीं कर सकता है जब मूल प्राधिकरण ने आंशिक रूप से खर्चों की अनुमति दी हो।"

वकील ने आग्रह किया कि चूंकि इन निर्णयों को राजस्व अधिकारियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, और इस तरह उनके द्वारा स्वीकार किया गया था, वर्तमान मामला पुनर्विचार के लिए खुला नहीं था।11

ग

7. वकील ने आगे कहा कि खर्च की 'प्रकृति' पर कर लाभ से इनकार करना राजस्व के लिए खुला नहीं था।यह

न्यायालय, टी. ए. कुरैशी बनाम आयकर आयुक्त, भोपाल 12

(इसके बाद, "टी. ए. कुरेशी") ने अपीलार्थी को व्यावसायिक नुकसान के रूप में जब्त की गई हेरोइन की लागत में कटौती करने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था किः

डी.

" हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने कानूनी दृष्टिकोण के बजाय भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण अपनाया है।हम उच्च न्यायालय से पूरी तरह सहमत हैं कि निर्धारिती अवैध रूप से हेरोइन के निर्माण और बिक्री में अत्यधिक अनैतिक कार्य कर रहा था। हालाँकि, मामलों का निर्णय अदालत द्वारा कानूनी सिद्धांतों पर किया जाना है न कि अपने स्वयं के नैतिक विचारों पर।कानून नैतिकता से अलग है, जैसा कि सकारात्मक न्यायविदों बेंथम और ऑस्टिन ने बताया।"

ई.

8. यह तर्क दिया गया कि इसी तरह, आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स खेमचंद मोतीलाल जैन 13 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने धारा 37 (1) के तहत व्यावसायिक व्यय के रूप में प्रत्यर्थी कंपनी के एक कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं को फिरौती राशि देने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था किः

च

" उपरोक्त धारा में प्रावधान है कि फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना एक अपराध है और कोई भी व्यक्ति ऐसा करना या मजबूर करना है

जी.

11 बर्जर पेंट्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2004) 12 एस. सी. सी. 42 और साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, 2011/21 की सिविल अपील संख्या 9606 देखें।

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 692, दिनांक 09.09.2021।12 (2007) 2 एससीसी 759।

13 2011 (4) एमपीएलजे 691।

एच.

132 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

भुगतान करना धारा में दिए गए दंड के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है, तो यह एक अपराध होगा।हमारे ध्यान में कोई प्रावधान नहीं लाया गया है कि फिरौती का भुगतान किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है।इसके अभाव में, उप-धारा (1), धारा 37 का स्पष्टीकरण वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।"

***

" सुखनंदन जैन लगभग 20 दिनों तक हिरासत में रहे।पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस कार्रवाई के लिए 20 दिनों का इंतजार करने के बाद।यदि प्रत्यर्थी अपना जीवन बचाने के लिए उपरोक्त राशि का भुगतान करता है, तो उपरोक्त राशि को एक कार्रवाई के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो कानून के तहत निषिद्ध है।हमारे ध्यान में कोई प्रावधान नहीं लाया जा सका कि फिरौती का भुगतान एक अपराध है।इसके अभाव में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि यह आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण के तहत निषिद्ध है, कोई सार नहीं रखता है।सुखनंदन जैन का पूरा दौरा गुणवत्ता के तेंदू पत्तों की खरीद के लिए था और इस उद्देश्य के लिए, वह व्यापार दौरे पर थे और उनके व्यापार दौरे के दौरान, उनका अपहरण कर लिया गया था और उनकी रिहाई के लिए उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया था।"

ग

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 9.वकील ने इस न्यायालय का ध्यान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1998 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया था कि धारा 37 (1) में स्पष्टीकरण 1 को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च

कर दाताओं को "सुरक्षा राशि, जबरन वसूली, हफ़्ता, रिश्वत" का दावा करने से,

"आदि". व्यावसायिक व्यय के रूप में, 14 जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद का इरादा केवल स्पष्टीकरण 1 'अवैध' गतिविधियों के दायरे में लाना था जिन्हें प्रासंगिक कानूनों के तहत 'अपराध' के रूप में वर्णित किया गया था।आई. टी. अधिनियम एक सामाजिक सुधार कानून नहीं है, इसलिए इसकी सख्ती से व्याख्या करने की आवश्यकता है, न कि व्यापक तरीके से ताकि इसके दायरे में एक दवा कंपनी द्वारा एक अधिनियम को शामिल किया जा सके जिसे किसी भी कानून द्वारा 'अवैध' के रूप में मान्यता नहीं दी गई है-ऐसा करना सार्वजनिक कानून के नियमों के खिलाफ होगा।

जी.

14 वित्त (सं. 2) विधेयक, 1998 की धारा 15 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन।बाद में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 772 ([1999] 235 आईटीआर (सेंट) 35 द्वारा अपनाया गया,53), दिनांकित 23.12.1998।

एच.

133

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

10. अंत में, वकील ने प्रस्तुत किया कि सीबीडीटी परिपत्र दिनांक 1 ने 2002 के विनियमों के दायरे को बढ़ाया, और इसे चिकित्सा व्यवसायियों से परे, यानी दवा कंपनियों और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए संचालित किया, जो किसी भी सक्षम प्रावधान के अभाव में, इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।यदि सीबीडीटी परिपत्र को लागू किया जाना था, तो इसे केवल 'संभावित रूप से' किया जा सकता था, न कि 'पूर्वव्यापी रूप से', यानी 01.08.2012 पर सीबीडीटी परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से, न कि 14.12.2009 पर 2002 के विनियमों के प्रकाशन की तारीख से।इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर यह दिखाने के लिए भरोसा रखा गया था कि लाभकारी परिपत्रों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना था, हालांकि दमनकारी परिपत्रों को केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता था।15

ग

राजस्व प्राधिकरणों की दलीलें

11. प्रत्यर्थी राजस्व अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि हालांकि दवा कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के प्रचार के लिए चिकित्सा व्यवसायियों को मुफ्त उपहार देने के कार्य को किसी भी प्रतिमा के तहत 'अपराध' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे "कानून द्वारा निषिद्ध" शब्दों का उपयोग करके स्पष्टीकरण 1 से धारा 37 (1) के दायरे में लाया गया था, क्योंकि यह विशेष रूप से 2002 के संशोधित विनियमों द्वारा निषिद्ध था।जबकि एपेक्स को 'दंडित' नहीं किया जा सकता था, उसे वितरित मुफ्त उपहारों पर कर छूट का दावा करके लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

डी.

ई.

12. इसके अलावा, ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि अपने समान रूप से प्रभावी जेनेरिक समकक्षों पर महंगी ब्रांडेड दवा निर्धारित करने के बदले में असाधारण मुफ्त प्राप्त करने की प्रथा को हतोत्साहित करने का संसद का इरादा, जिससे रोगियों पर अनावश्यक लागतों का बोझ पड़ता है, न केवल संशोधित 2002 विनियमों से स्पष्ट था, बल्कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 (इसके बाद, "पी. सी. अधिनियम") से भी स्पष्ट था।एक सरकारी डॉक्टर जो कदाचार या किसी अन्य अपराध के लिए किसी भी अवैध रिश्वत की राशि प्राप्त करता है, उस पर पीसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद, "आईपीसी") के तहत आरोप लगाया जा सकता है।16

च

13. वर्तमान उदाहरण में, चिकित्सा व्यवसायियों को पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एपेक्स द्वारा आतिथ्य, सम्मेलन शुल्क, सोने के सिक्के, एलसीडी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप आदि जैसे महंगे उपहार प्रदान किए गए थे।

जी.

15 उदाहरण के लिए देखें, आयकर निदेशक बनाम S.R.M.B डेयरी फार्मिंग (पी.) लिमिटेड, (2018) 13

एससीसी 239।

16 कंवरजीत सिंह कक्कड़ बनाम पंजाब राज्य, (2011) 13 एस. सी. सी. 158।

एच.

पूरक 'ज़िंकोविट'।यह तर्क दिया गया था कि इन्हें स्पष्ट रूप से अक्षर और भावना में प्राप्त करना चिकित्सा व्यवसायी की ओर से पेशेवर कदाचार था।2002 के विनियमों का दायरा पेशेवर कदाचार के उदाहरणों की एक सीमित सूची तक सीमित नहीं था, बल्कि उन उदाहरणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त था जो विशेष रूप से गणना नहीं किए गए थे।17 महंगी ब्रांडेड दवाओं को एक-दूसरे के लिए लाभकारी व्यवस्था के रूप में निर्धारित करने के खतरे का सार्वजनिक नीति पर सीधा असर पड़ा, जो 2002 के विनियमों में ही निहित था।

14. इसे स्पष्ट करने के लिए, दो उच्च न्यायालयों पर निर्भरता रखी गई थी

निर्णय लेते हैं।आयकर आयुक्त बनाम कैप स्कैन और निदान

सेंटर पी. लिमिटेड, 18 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने निजी प्रैक्टिस में लगे डॉक्टरों को अपने रोगियों को निर्धारिती के नैदानिक केंद्र में भेजने के लिए कमीशन के लिए दी गई छूट के लाभ को अस्वीकार करते हुए कहा किः

ग

"इस प्रकार, यह सामने आता है कि एक निर्धारिती कानून के उल्लंघन में किए गए भुगतानों की कटौती का हकदार नहीं होगा। इसी तरह, उन भुगतानों को समान रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती है जो सार्वजनिक नीति के गैरकानूनी विचार की प्रकृति के विपरीत हैं।यह नहीं माना जा सकता है कि व्यवसायी कानून के विपरीत भी अपना व्यवसाय करने के हकदार हैं और व्यावसायिक व्यय के रूप में भुगतान की कटौती का दावा करते हैं, इसके बावजूद कि इस तरह के भुगतान अवैध हैं या सार्वजनिक नीति के विपरीत हैं या समग्र रूप से समाज के लिए हानिकारक परिणाम हैं।"

डी.

ई.

***

"अगर इस तरह के कमीशन की मांग करना बुरा था, तो इसका भुगतान करना भी उतना ही बुरा था।दोनों एक गलत के लिए गुप्त थे।इसलिए, निजी डॉक्टरों को दिया जाने वाला ऐसा कमीशन सार्वजनिक नीति के खिलाफ था और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।निर्धारिती द्वारा रोगियों को भेजने के लिए कमीशन के भुगतान को किसी भी तरह से कानूनी या सार्वजनिक नीति के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।निस्संदेह, यह एक उचित प्रथा नहीं है और इसे सार्वजनिक नीति के खिलाफ कहा जाना चाहिए।"

च

जी.

***

17 2002 के विनियमों का विनियम 8 देखें।18 (2012) 344 आईटीआर 476 (पी एंड एच एचसी)।

एच.

135

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद, "अनुबंध अधिनियम") की धारा 23 को निर्धारिती और निजी डॉक्टरों के बीच समझौते के विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी ठहराने के लिए संदर्भित किया, और इसलिए समझौता अमान्य हो गया, क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ था।15. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया

भारतीय औषधि उद्योग परिसंघ (एसएसआई) बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 19 (इसके बाद, "परिसंघ") में इसी तर्ज पर,

धारण करनाः

“यह विनियमन एक बहुत ही हितकारी विनियमन है जो रोगियों और जनता के हित में है।यह अदालत बढ़ती शिकायतों से बेखबर नहीं है कि चिकित्सक जेनेरिक दवाएं नहीं लिखते हैं और कुछ विशेष दवा उद्योगों द्वारा उन्हें दिए गए उपहारों और अन्य मुफ्त उपहारों के बदले में केवल ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं।एक बार जब चिकित्सा परिषद द्वारा इसमें निहित शक्तियों के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) लागू हो जाती है।

ग

डी.

उच्च न्यायालय ने सीबीडीटी के दिनांक 1 के परिपत्र की वैधता को भी बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि यह निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को स्थापित करना है कि किया गया व्यय 2002 के विनियमों का उल्लंघन नहीं थाः

ई.

“ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल मोहन का तर्क है कि परिपत्र धारा से परे है।हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं। धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी व्यय, जो कानून द्वारा निषिद्ध है, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किया गया नहीं माना जाएगा।वृत्त का योग और सार भी समान है। यदि निर्धारण अधिकारी परिपत्र को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्तिगत निर्धारिती के लिए आयकर अधिनियम के तहत अपील दायर करने का उपाय है, लेकिन परिपत्र जो पूरी तरह से धारा 37 (1) के अनुरूप है, उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है।वास्तव में यहाँ ऊपर उद्धृत परिपत्र के पैराग्राफ 4 में ही स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्राप्त मुफ्त उपहारों का मूल्य भी कर योग्य है।

च

जी.

19 (2013) 353 आईटीआर 388 (एचपी एचसी)।

एच.

प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर व्यावसायिक आय या अन्य स्रोतों से आय के रूप में।इसलिए, यदि निर्धारिती निर्धारण प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि व्यय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों का उल्लंघन नहीं है, तो वह वैध रूप से कटौती का दावा कर सकता है, लेकिन यह निर्धारिती के लिए है कि वह निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करे कि व्यय ऊपर उल्लिखित चिकित्सा परिषद विनियमों का उल्लंघन नहीं है।

(जोर दिया गया) 16।अंत में, ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि यदि निर्धारण अधिकारी ने एपेक्स को कर लाभ का दावा करने की अनुमति दी होती, तो अधिकारी <आई. डी. 1,159/- पर देय कर राशि के रूप में राजस्व से वंचित हो जाते, जो एक महत्वपूर्ण चूक थी।इस प्रकार, कानूनों और विनियमों के समग्र अध्ययन पर, एपेक्स को धारा 37 (1) के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

₹

ग

विश्लेषण और निष्कर्ष

17. प्रासंगिक प्रावधानों की जांच सबसे पहले आवश्यक है।आई. टी. अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार बताती हैः

डी.

धारा 37.जनरल।—(1) व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किया गया कोई भी व्यय (जो धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में अनुमत किया जाएगा। [स्पष्टीकरण 1]।—सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी व्यय -

ई.

च

कोई भी उद्देश्य जो अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है

यह नहीं माना जाएगा कि यह व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से किया गया है और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा।]

(जोर दिया गया) धारा 37 एक अवशिष्ट प्रावधान है।कोई भी व्यवसाय या व्यावसायिक व्यय जो सामान्य रूप से धारा 30-36 के तहत नहीं आता है, और जो पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है, इस छूट के लाभ का दावा कर सकता है। लेकिन वही निरपेक्ष नहीं है।स्पष्टीकरण 1, जिसे 1998 में 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था, ऐसी छूट के आवेदन को "किसी भी उद्देश्य ए" के लिए प्रतिबंधित करता है।

जी.

एच.

137

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है।आई. टी. अधिनियम करता है

इन शब्दों के लिए कोई परिभाषा प्रदान नहीं करता है।सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 2 (38) 'अपराध' को किसी भी कार्य या चूक के रूप में परिभाषित करती है।

तत्काल लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय।आई. पी. सी. के तहत, धारा 40 इसे "इस संहिता द्वारा दंडनीय चीज़" के रूप में परिभाषित करती है।

धारा 43 जो 'अवैध' को 'हर चीज' पर लागू होने के रूप में परिभाषित करती है

जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, या जो प्रस्तुत करता है

एक नागरिक कार्रवाई के लिए आधार "।अतः यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण 1 में ऐसी सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो अवैध/कानून द्वारा निषिद्ध और/या दंडनीय हैं।

18. विनियम 6.8।2002 के विनियमों में निम्नलिखित कहा गया हैः

ग

“ 6.8.फार्मास्युटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग के साथ उनके संबंधों में डॉक्टरों के लिए आचार संहिता।

6.8.1 फार्मास्युटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योग से निपटने में, एक चिकित्सक नीचे दी गई शर्तों का पालन करेगा और उनका पालन करेगाः—

डी.

(क) उपहारःएक चिकित्सा व्यवसायी को किसी भी दवा या संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और उनके बिक्री लोगों या प्रतिनिधियों से कोई उपहार नहीं मिलेगा।

(ख) यात्रा सुविधाएँःएक चिकित्सा व्यवसायी किसी भी दवा या संबद्ध स्वास्थ्य सेवा उद्योग या अपने और परिवार के सदस्यों के लिए छुट्टी के लिए या सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सीएमई कार्यक्रम आदि में भाग लेने के लिए देश के अंदर या बाहर किसी भी यात्रा सुविधा को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें रेल, सड़क, हवाई जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टी आदि शामिल हैं।]

ई.

च

(ग) आतिथ्यःएक चिकित्सक किसी भी बहाने से अपने और परिवार के सदस्यों के लिए होटल आवास जैसे किसी भी आतिथ्य को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं करेगा।

(घ) नकद या मौद्रिक अनुदानःएक चिकित्सा व्यवसायी किसी भी बहाने के तहत व्यक्तिगत क्षमता में व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किसी भी दवा और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा उद्योग से कोई नकद या मौद्रिक अनुदान प्राप्त नहीं करेगा।चिकित्सा अनुसंधान, अध्ययन आदि के लिए धन केवल अनुमोदित संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है

जी.

एच.

138 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

ऐसे अनुमोदित संस्थानों द्वारा पारदर्शी तरीके से अपनाए गए कानून/नियमों/दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित तौर-तरीके।इसका हमेशा पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा।"

विनियमन आगे संबंधित कार्रवाई या मंजूरी निर्धारित करता है जो उसी के मौद्रिक मूल्य के आधार पर प्रत्येक शर्त के उल्लंघन के लिए चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ की जा सकती है या उस पर लगाई जा सकती है।इस प्रकार, दवा कंपनियों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से चिकित्सा व्यवसायी की ओर से एक अपराध है, जो अलग-अलग परिणामों के साथ दंडनीय है।

19. सी. बी. डी. टी. का परिपत्र दिनांक 01.08.2012 नीचे दिया गया हैः

1. बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योग भारतीय चिकित्सा परिषद ('परिषद') द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करते हुए चिकित्सा व्यवसायियों और उनके पेशेवर संघों को मुफ्त मधुमक्खियां (मुफ्त उपहार) प्रदान कर रहे हैं, जो कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक नियामक निकाय है।

ग

डी.

2. परिषद ने अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 (विनियम) में संशोधन किया, जिसमें चिकित्सा व्यवसायी और उनके पेशेवर संघों पर दवा और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों से कोई भी उपहार, यात्रा सुविधा, आतिथ्य, नकद या मौद्रिक अनुदान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ई.

3. आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) में व्यावसायिक आय से किसी भी राजस्व व्यय (धारा 30 से 36 के तहत विफल होने वालों के अलावा) की कटौती का प्रावधान है, यदि ऐसा व्यय पूरी तरह से या विशेष रूप से व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से निर्धारित/व्यय किया जाता है।हालाँकि, इस उप-धारा के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण ऐसे किसी भी खर्च के दावे से इनकार करता है, यदि वह किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जो या तो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है।

च

जी.

इस प्रकार, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त या इसी तरह की मुक्त मधुमक्खियों को प्रदान करने में किए गए किसी भी खर्च का दावा -

एच.

139

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

आयकर अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अस्वीकार्य होना क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध खर्च है।यह अस्वीकृति ऐसे औषधीय या संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योगों या अन्य निर्धारिती के हाथों में दी जाएगी जिसने उपरोक्त मुक्त मधुमक्खियाँ प्रदान की हैं और इसे आय के बदले अपने खातों में कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा किया है।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चिकित्सा व्यवसायी या पेशेवर संघों द्वारा प्राप्त मुक्त मधुमक्खियों के मूल्य के बराबर राशि भी प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर व्यावसायिक आय या अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य है।ऐसे चिकित्सा व्यवसायी या पेशेवर संघों के मूल्यांकन अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

ग

आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे प्रभारी के सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

डी.

(जोर दिया गया) सीबीडीटी परिपत्र प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक होने के कारण, 2002 विनियमों के विनियम 6.8 के कार्यान्वयन की तारीख से प्रभावी था, यानी 14.12.2009 से।

ई.

20. डी में। सीआईटी 8 (2) मुंबई बनाम पीएचएल फार्मा पी. लिमिटेड 20 आई. टी. ए. टी.

मैक्स अस्पताल (ऊपर) के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के निर्णय को दोहराया कि 2002 के विनियम दवा कंपनियों पर लागू नहीं थे, और आवश्यक अधिकार क्षेत्र के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि दवा कंपनियों ने किसी भी कानून या विनियम का उल्लंघन किया था।इसके अलावा, इसने अभिनिर्धारित किया कि सीबीडीटी को 2002 के विनियमों के दायरे में दवा कंपनियों को लाने की अनुमति देने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, और भले ही इस तरह के अधिनियम की अनुमति दी जाए, यह केवल संभावित रूप से किया जा सकता हैः

च

“एल. डी. के विवाद की ओर रुख करते हुए। सी. आई. टी. डी. आर. ने कहा कि सी. बी. डी. टी. इस तरह का स्पष्टीकरण जारी करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है, यह देखा गया है कि सी. बी. डी. टी. परिपत्र दिनांक 01.08.2012 (ऊपर) ने अपने स्पष्टीकरण में 'भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन 2002' के दायरे और प्रयोज्यता को बढ़ा दिया है।

जी.

20 आई. टी. ए. सं. 4605/मम/2014, दिनांक 12.01.2017।

एच.

दवा कंपनियाँ या संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के उद्योग।सीबीडीटी द्वारा दवा कंपनियों के लिए एमसीआई विनियमन के दायरे का इस तरह का विस्तार आयकर कानून के प्रावधानों या भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान द्वारा किसी भी सक्षम प्रावधान के बिना है।सी. बी. डी. टी. किसी कानून या अधिसूचना या किसी ऐसे विनियमन के लिए मामला छूट प्रदान नहीं कर सकता है जो उसमें स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है।सीबीडीटी कानून की कठोरता को कम कर सकता है और परिपत्र जारी करके और वैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करके प्रावधानों का निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।सी. बी. डी. टी. परिपत्र वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने और उस समय के सही अर्थ का पता लगाने के लिए 'समकालीन व्याख्या' की तरह कार्य करते हैं जब क़ानून लागू किया गया था।तथापि, सी. बी. डी. टी. अपनी शक्ति में कानून की किसी भी मंजूरी के बिना किसी निर्धारिती या निर्धारिती के वर्ग के लिए प्रतिकूल एक नई हानि पैदा नहीं कर सकता है।सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र को कर कानूनों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रशासनिक राहत देने या कानून के प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से और निर्धारिती पर बोझ नहीं डालना चाहिए, एक अलग अधिनियम के तहत जारी किए गए एक अलग विनियमन के दायरे को बढ़ाकर एक नया बोझ पैदा करना छोड़ दें ताकि निर्धारिती को किसी भी प्रकार की कठिनाई या दायित्व का सामना करना पड़े।किसी भी मामले में, यह सामान्य कानून है कि सीबीडीटी परिपत्र जो बोझ या दायित्व पैदा करता है या एक नई तरह की अशुद्धता लागू करता है, उसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं माना जा सकता है।लाभकारी परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू हो सकता है लेकिन बोझ डालने वाले परिपत्र को केवल संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए।यहां इस मामले में सीबीडीटी ने 'भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन, 2002' का दायरा बढ़ाया है और इसे दवा कंपनियों के लिए लागू किया है।इसलिए, इस तरह के सीबीडीटी परिपत्र का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं माना जा सकता है।यही सीबीडीटी परिपत्र सिंकॉम फॉर्मूलेशन (आई) लिमिटेड (ए. वाई. के लिए आई. टी. ए. संख्या 6429 और 6428/एम. एम./2012 में) के मामले में आई. टी. ए. टी., मुंबई पीठ की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था। 2010-11 और 2011-12, दिनांकित 23.12.2015 आदेश के माध्यम से), जिसमें न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि सीबीडीटी परिपत्र ए. वाई. में लागू नहीं होगा। 2010-11 और 2011-12 जैसा कि इसे W. E. F. 1.8.2012 के रूप में पेश किया गया था।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

141

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

21. पी. एच. एल. फार्मा (ऊपर) ने आगे कैप स्कैन और परिसंघ (ऊपर) के उच्च न्यायालय के फैसलों पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि भले ही वे निर्धारिती के खिलाफ निर्णय लिए गए थे, उन्होंने धारा 37 (1) के तहत कर लाभ का दावा करने वाली दवा कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, और इसे मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अधीन बनाया।राज्यों में आई. टी. ए. टी. द्वारा लिए गए बाद के निर्णयों ने निर्धारिती दवा कंपनियों को राहत देने के लिए पी. एच. एल. फार्मा पर भारी निर्भरता डाल दी है।

22. इस न्यायालय की राय है कि धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण 1 की ऐसी संकीर्ण व्याख्या उस उद्देश्य को विफल कर देती है जिसके लिए इसे जोड़ा गया था, यानी किसी निर्धारिती को किसी अवैध गतिविधि में अपनी भागीदारी के लिए कर लाभ का दावा करने से मना करना।यद्यपि वित्त विधेयक, 1998 के ज्ञापन में "संरक्षण" को शामिल करने के लिए स्पष्टीकरण 1 के दायरे को स्पष्ट किया गया था।

ग

धन, जबरन वसूली, हफ़्ता, रिश्वत, आदि ", फिर भी, वास्तव में, किसी भी तरह से नहीं है।

परिकल्पित प्रतिबंध उन उदाहरणों तक ही सीमित था।यह तर्कसंगत है कि जब मुफ्त उपहारों की स्वीकृति एमसीआई द्वारा दंडनीय है (दंड की सीमा और चिकित्सा व्यवसायी पर लगाए गए प्रतिबंध तक), तो दवा कंपनियों को इस तरह के मुफ्त उपहार प्रदान करने के लिए कर लाभ नहीं दिया जा सकता है, और इस तरह (सक्रिय रूप से और पूरी जानकारी के साथ) उस अधिनियम को लागू करने में सक्षम बनाता है जो इस तरह के अत्याचार को आकर्षित करता है।23. पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) 21 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा इस तरह की व्याख्या की अतार्किकता और पूरी तरह से गलत प्रकृति को पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों की समान व्याख्या में निपटाया गया था।2018 के संशोधन 22 से पहले, पी. सी. अधिनियम केवल रिश्वत लेने वाले को दंडित करता था जो एक लोक सेवक था, न कि रिश्वत देने वाले को।अपीलार्थी रिश्वत देने वाले को बरी करने के लिए इस पर भरोसा रखा गया था।इस तरह की व्याख्या को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

डी.

ई.

च

"145. श्री राव ने कहा कि चूंकि अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों के कारण कथित रिश्वत लेने वालों ने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए कथित रिश्वत देने वालों ने भी कोई अपराध नहीं किया था।अनुच्छेद 105 (2) में यह प्रावधान नहीं है कि जो अपराध अन्यथा है वह अपराध नहीं है जब यह संसद सदस्य द्वारा किया जाता है और इसका संबंध उसके भाषण या वोट से होता है।इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि संसद का कोई सदस्य किसी मामले में जवाबदेह नहीं होगा।

जी.

21 (1998) 4 एससीसी 626।

22 उप.धारा 8,2018 का अधिनियम 16, डब्ल्यू. ई. एफ. 26.07.2018।

एच.

कानून की अदालत किसी ऐसी चीज के लिए जिसका संसद में उनके भाषण या वोट से संबंध है।यदि संसद के किसी सदस्य ने संसद में अपने भाषण या वोट से कोई अपराध किया है, तो उसे अनुच्छेद 105 (2) के कारण अभियोजन से छूट प्राप्त है।जिन लोगों ने उस अपराध के लिए संसद सदस्य के साथ साजिश रची है, उन्हें ऐसी कोई छूट नहीं है।इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

***

147. श्री राव ने कहा कि कथित रिश्वत देने वालों ने संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और वे इसकी अवमानना के दोषी हैं और उनसे निपटने का काम संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए।कथित रिश्वत लेने वालों और कथित रिश्वत देने वालों ने आपराधिक कानून के तहत अपराध किए और संसद के विशेषाधिकारों और इसकी अवमानना का उल्लंघन किया।पूर्व के लिए अभियोजन से, कथित रिश्वत लेने वालों, अजीत सिंह को बाहर रखा गया है, उन्हें छूट प्राप्त है।कथित रिश्वत देने वाले ऐसा नहीं करते हैं।इसलिए कथित रिश्वत देने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए।संसद के विशेषाधिकारों और इसकी अवमानना के उल्लंघन के लिए, संसद कथित रिश्वत लेने वालों और कथित रिश्वत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

ग

डी.

***

ई.

150. हम जो पहले कह चुके हैं, उसे दोहराते हुए श्री राव ने दो चेतावनियों के साथ सही कहा कि संसद के पास न केवल अपने सदस्यों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने की शक्ति है, बल्कि उन लोगों को भी दंडित करने की शक्ति है जिन्होंने उनके साथ साजिश रची थी।पहला, अपराध का गठन करने वाली कार्रवाइयों को भी संसद के विशेषाधिकार या उसकी अवमानना का उल्लंघन होना चाहिए; दूसरा, संसद जो कार्रवाई करेगी और जो सजा वह लगाएगी वह विशेषाधिकार या अवमानना के उल्लंघन के लिए है।इस बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि लोकसभा कथित रिश्वत देने वालों और कथित रिश्वत लेने वालों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन या अवमानना के लिए कार्रवाई कर सकती है, चाहे वे संसद सदस्य हों या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें आपराधिक कानून के तहत कथित रिश्वत देने वालों के अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती हैं।

च

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

143

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

24. भले ही एपेक्स के तर्क को स्वीकार किया जाना था-कि वह अपराध करके किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं था, क्योंकि 2002 के विनियमों में इसके लिए कोई दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं था-इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके कार्य स्पष्टीकरण 1 से धारा 37 (1) में "कानून द्वारा निषिद्ध" के दायरे में आते हैं।

25. इसके अलावा, यदि 2002 के विनियमों द्वारा लगाई गई वैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है, तो आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण (1) और चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 20 ए को शामिल करना (जो विनियमों के लिए मूल प्रावधान के रूप में कार्य करता है), जो स्पष्ट है वह यह है कि किसी चीज़ को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता वाली वैधानिक व्यवस्था का भी तात्पर्य है (किसी स्पष्ट शर्तों के अभाव में भी) कि इसे करने के अन्य रूप अस्वीकार्य हैं।

ग

26. इस संबंध में जमाल उद्दीन अहमद बनाम अबू सालेह नजमुद्दीन और अन्र 24 में इस न्यायालय का निर्णय कुछ हद तक प्रासंगिक है।वहाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के दायरे की जांच निहित निषेध के नियम को लागू करके चुनाव याचिकाओं को प्रशासित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के आलोक में की गई थी।न्यायालय ने कहा किः

डी.

“"शक्ति प्रदान करने वाले कानूनों" से निपटना; निहित शर्तें, न्यायिक समीक्षा ", न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों (आठ संस्करण 2001, pp.333,334 पर) में कहा है कि एक क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति में अक्सर इसके प्रयोग के लिए व्यक्त शर्तें होती हैं और व्यक्त शर्तों के अभाव में या इसके अलावा शक्ति के प्रयोग के लिए निहित शर्तें भी होती हैं।किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करने का निर्देश देने वाले नए कानून का परिचय देने वाला एक सकारात्मक क़ानून अनिवार्य करता है, भले ही कोई नकारात्मक शब्द न हो, कि कार्य किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाएगा।निहित निषेध का यह नियम इस मूल सिद्धांत के अधीन है कि न्यायालय को, जहां तक संभव हो, एक ऐसे निर्माण को संलग्न करना चाहिए जो विधायी इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करता हो।इसके अलावा, निहित निषेध का नियम इस सिद्धांत को नकारात्मक नहीं करता है कि वैधानिक शक्ति का एक स्पष्ट अनुदान सभी उचित का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण को आवश्यक निहितार्थ द्वारा वहन करता है।

ई.

च

जी.

23 चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1964 के माध्यम से शामिल किया गया। 24 (2003) 4 एससीसी 257।

एच.

144 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

इसका अर्थ है इस तरह के अनुदान को प्रभावी बनाना।उदाहरण के लिए, किसी अपराध पर अधिकारिता प्रदान करने वाले संसद के एक अधिनियम का तात्पर्य उस अधिकार क्षेत्र में वारंट बनाने और अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को सुरक्षित रूप से पेश करने की शक्ति से है; आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत रखरखाव प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट

को प्रदान की गई शक्ति का अर्थ है अंतरिम रखरखाव की अनुमति देना; स्थानीय प्राधिकरण को 'टोपी' या मेले आयोजित करने के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति का अर्थ है दिन तय करने की आकस्मिक शक्ति; गन्ना उत्पादकों को चीनी कारखानों को गन्ना की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रदत्त शक्ति का अर्थ है मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक आकस्मिक शक्ति।संक्षेप में, किसी शक्ति के प्रदान होने का तात्पर्य वह सब कुछ करने का अधिकार है जिसे निष्पक्ष और यथोचित रूप से प्रदत्त शक्ति के लिए आकस्मिक या परिणामी माना जा सकता है।***

ग

हर्बर्ट ब्रूम ने कानूनी अधिकतम पर अपने प्रसिद्ध काम की प्रस्तावना में कहा है-"कानूनी विज्ञान में, शायद किसी भी अन्य की तुलना में अधिक बार, पहले सिद्धांतों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।" कानून के मूल या पहले सिद्धांतों को अक्सर सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो स्पष्ट रूप से तर्क, सार्वजनिक सुविधा और आवश्यकता में स्थापित होते हैं।कानूनी तर्क और कानूनी सिद्धांतों के अनुप्रयोग, दोनों में सूक्ष्मताओं और भेदों को पेश करने की आधुनिक प्रवृत्ति, जो पहले अज्ञात थी, ने सरल मौलिक नियमों के मूल्यों को कम करने के बजाय पहले सिद्धांतों के साथ एक सटीक परिचय को अधिक आवश्यक बना दिया है। मौलिक नियम कानून का आधार हैं; विशेष मामले की आवश्यकताओं और खुद को प्रस्तुत करने वाली परिस्थितियों की नवीनता के अनुसार या तो सीधे लागू किए जा सकते हैं, या योग्य या सीमित हो सकते हैं।धनलाल बनाम कलावतीबाई और अन्य में। 25 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

डी.

ई.

च

जी.

"जब कानून मार्ग प्रदान नहीं करता है और उदाहरण नेतृत्व करने के लिए दूर रहते हैं, तो ठोस तर्क, तर्कसंगत तर्क, सामान्य ज्ञान और निर्णय लेने वालों के मार्गदर्शक के रूप में सार्वजनिक भलाई के लिए आग्रह करते हैं।"

25 (2002) 6 एससीसी 16.

एच.

145

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

27. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है कि कोई भी अदालत किसी ऐसे पक्ष को अपनी सहायता नहीं देगी जो अनैतिक या अवैध कार्य (पूर्व डोलो मालो गैर-कानूनी कार्रवाई) में अपनी कार्रवाई का कारण बनता है, जिसका अर्थ है कि किसी को भी इस तथ्य के साथ किसी भी गलत काम से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वैधानिक शासन सुसंगत होना चाहिए और आत्म-पराजय नहीं होना चाहिए।चिकित्सक और फार्मासिस्ट चिकित्सा पेशे में एक दूसरे के पूरक और पूरक होने के कारण, समकालीन वैधानिक शासनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके आचरण को विनियमित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।इसलिए, कर लाभ से इनकार को निर्धारिती दवा कंपनी को दंडित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।केवल कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध कार्रवाई में इसकी भागीदारी, निर्धारिती को कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा करने से रोकती है।

ग

28. यह न्यायालय यह भी नोटिस करता है कि चिकित्सा व्यवसायियों का अपने रोगियों के साथ एक अर्ध-प्रत्ययी संबंध है।एक डॉक्टर के पर्चे को रोगी द्वारा ली जाने वाली दवा पर अंतिम शब्द माना जाता है, भले ही ऐसी दवा की लागत असहनीय हो या मुश्किल से रोगी की आर्थिक पहुंच के भीतर हो-ऐसा डॉक्टरों में विश्वास का स्तर है।इसलिए, यह बहुत सार्वजनिक महत्व और चिंता का विषय है, जब यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक डॉक्टर के पर्चे में हेरफेर किया जा सकता है, और दवा कंपनियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से संचालित किया जा सकता है, जिसमें सोने के सिक्के, फ्रिज और एलसीडी टीवी जैसे उपहार से लेकर छुट्टियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के वित्तपोषण या चिकित्सा सम्मेलनों में भाग लेने तक शामिल हैं।ये मुफ्त उपहार तकनीकी रूप से 'मुफ्त' नहीं हैं-इस तरह के मुफ्त उपहारों की आपूर्ति की लागत को आमतौर पर दवा में शामिल किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं, इस प्रकार एक स्थायी सार्वजनिक रूप से हानिकारक चक्र पैदा होता है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति 26 ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति 26 ने निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस तरह के परस्पर लाभ के बदले में प्रभावी जेनेरिक समकक्षों पर दवा निर्धारित करने के खतरे को महत्वपूर्ण रूप से चिह्नित किया गया हैः

डी.

ई.

च

" समिति ने यह भी नोट किया कि दिसंबर 2009 में शुरू किए गए भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों में नैतिकता की एक संहिता होने के बावजूद डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा उद्योग से किसी भी उपहार, आतिथ्य, विदेशी और घरेलू गंतव्यों की यात्रा आदि को स्वीकार करने से मना किया गया है, इस बुरी प्रथा में कोई कमी नहीं आई है और दवा कंपनियां विदेश यात्राओं को प्रायोजित करना जारी रखती हैं।

जी.

26 45 जेनेरिक, जेनेरिक-ब्रांडेड और ब्रांडेड दवाओं की उपलब्धता, उनके निर्माण और चिकित्सीय प्रभावशीलता और प्रभावशीलता से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट, दिनांक 04.08.2010।

एच.

146 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

कई डॉक्टर और उच्च मूल्य के उपहार जैसे एयर कंडीशनर, कार, संगीत प्रणाली, सोने की जंजीर आदि के साथ प्रिस्क्राइबर्स को बाध्य करते हैं जो फिर महंगी दवाओं को क्विड प्रो क्वो के रूप में लिखते हैं।अंततः ये सभी खर्च दवाओं की लागत में जुड़ जाते हैं।समिति का ध्यान टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 जुलाई, 2010 को रीमा नागराजन द्वारा एमसीआई संहिता के उल्लंघन के विशिष्ट उदाहरण देते हुए एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया था।समिति सरकार से ऐसे उल्लंघनों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान करती है।चूँकि एमसीआई का दवा कंपनियों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए सरकार को डीसीजीआई और आयकर विभाग के माध्यम से उन कंपनियों को दंडित करने के लिए समानांतर कार्रवाई करनी चाहिए जो दवा निर्माण लाइसेंस रद्द करके और/या अनैतिक गतिविधियों पर खर्च की अनुमति नहीं देकर एमसीआई नियमों का उल्लंघन करती हैं।"

ग

(जोर दिया गया) दिलचस्प बात यह है कि योजना और मूल्यांकन के लिए सहायक सचिव के अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग कार्यालय द्वारा बचत नामक एक रिपोर्ट में इसी तरह का निष्कर्ष निकाला गया था।

डी.

मेडिकेयर भाग डी (दिनांक 23.07.2018) में कई स्रोत ब्रांड दवाओं के पूर्ण सामान्य प्रतिस्थापन के तहत उपलब्ध है।27 रिपोर्ट में पाया गया

अन्य बातों के साथ-साथ, कि एक विशेष अवधि के लिए वितरित 20 विषम (600 दवाओं में से जो शोध पत्र की विषय वस्तु थीं) ब्रांड दवाओं के संबंध में किया गया एक अनुभवजन्य अध्ययन, जेनेरिक प्रतिस्थापन में सक्षम था और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को पर्याप्त लाभ होताः

ई.

27 HTTPS से निकाला गयाः//एस्पे।एचएचएस।सरकार/रिपोर्ट/डेटा-पॉइंट-सेविंग्स-अवेलेबल-अंडर-फुल-जेनेरिक-सब्स्टिट्यूशन-मल्टीपल-सोर्स-ब्रांड-ड्रग्स-मेडिकेयर 16 पर एक्सेस किया गयाः37 13.02.2022 पर।रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा गया है किः

च

“जेनेरिक प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति के बावजूद, 2016 में पार्ट डी योजनाओं द्वारा 600 से अधिक ब्रांड नाम की दवाओं का वितरण और भुगतान किया गया था।योजनाओं और लाभार्थियों ने कई स्रोत ब्रांडों के लिए $8.7 बिलियन और जेनेरिक के लिए $34.00 बिलियन का भुगतान किया।कई स्रोत ब्रांडों के पूर्ण प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप जेनेरिक दवाओं पर कुल $39.9 बिलियन का खर्च होता, जिससे 2016 में भाग डी कार्यक्रम और इसके लाभार्थियों को $2.8 बिलियन की बचत होती।ये अनुमान पार्ट डी योजनाओं या फार्मेसी लाभ प्रबंधकों (पी. बी. एम.) को भुगतान की गई निर्माता छूट या ब्रांड नाम की दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा भुगतान की गई वैधानिक छूट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और इस प्रकार छूट के अक्सर प्रीमियम पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए लेखांकन के बाद कार्यक्रम में बचत को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकते हैं।चित्र 1 देखें।

जी.

****

इस 28 करोड़ डॉलर में से 25 करोड़ डॉलर ब्रांड नाम की दवाओं के लिए है जिन्हें कम से कम एक पूरे वर्ष के लिए सामान्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है (जैसे कि पहला जेनेरिक 2015 में उपलब्ध था या ए

एच.

147

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

“लाभार्थियों को जेब से भुगतान में 60 करोड़ डॉलर से अधिक की बचत हो सकती थी यदि उन्हें जेनेरिक समकक्ष दवाएं दी जातीं।इस खर्च की एक महत्वपूर्ण राशि शीर्ष 20 बहु स्रोत ब्रांडों के बीच हुई।जेनेरिक प्रतियोगियों के लिए इन दवाओं को उनके औसत मूल्यों पर प्रतिस्थापित करने से कार्यक्रम और लाभार्थियों को 1.80 करोड़ डॉलर की बचत होती।"

इसी तरह, प्रोपब्लिका (एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी समाचार कक्ष जो खोजी पत्रकारिता करता है) द्वारा पिछले अध्ययन में "डॉलर फॉर

डाक्टरःअब सबूत हैःडॉक्स जिन्हें कंपनी कैश मिलता है वे अधिक ब्रांड-नाम मेड लिखने की प्रवृत्ति रखते हैं "(दिनांक 17.03.2016) 28 ने कहा किः“...चिकित्सा उद्योग से भुगतान प्राप्त करने वाले डॉक्टर वास्तव में अपने सहयोगियों की तुलना में अलग तरह से दवाएं लिखते हैं जो नहीं करते हैं।और उन्हें औसतन जितना अधिक पैसा मिलता है, वे उतनी ही अधिक ब्रांड-नाम की दवाएं लिखते हैं।"

ग

डी.

पहले)।जेनेरिक को प्रतिस्थापित करने के लिए 584 मिलियन डॉलर की और बचत का अनुमान है जो पहली बार 2016 में लॉन्च किए गए थे और इसलिए पूरे एक साल से भी कम समय के लिए बाजार में उपलब्ध हैं।इन 12 एकल स्रोतों में जेनेरिक

प्रविष्टि से पहले ब्रांड दवाओं के लिए भुगतान शामिल है, उदाहरण के लिए विधियों अनुभाग में उपयोग किए गए उदाहरण में क्रेस्टर खर्च का 1.13 करोड़ डॉलर।अतिरिक्त सामान्य प्रतियोगियों के बाजार में प्रवेश करने से बचत बढ़ने की संभावना है। लाभार्थियों ने तुलनीय जेनेरिक के साथ ब्रांड दवाओं के लिए लागत-साझाकरण में $1.1 बिलियन खर्च किए, जो तुलनीय जेनेरिक की तुलना में औसतन दोगुना था।2016 में, कई स्रोत ब्रांड दवा लागत-साझाकरण औसतन $39.15 था, जबकि प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों के लिए सामान्य लागत-साझाकरण $17.04 था।लाभार्थियों को जेब से भुगतान में 60 करोड़ डॉलर से अधिक की बचत हो सकती थी यदि उन्हें जेनेरिक समकक्ष दवाएं दी जातीं।इस खर्च की एक महत्वपूर्ण राशि शीर्ष 20 बहु स्रोत ब्रांडों के बीच हुई।जेनेरिक प्रतियोगियों के लिए इन दवाओं को उनके औसत मूल्यों पर प्रतिस्थापित करने से कार्यक्रम और लाभार्थियों को 1.80 करोड़ डॉलर की बचत होती।इन दवाओं के लिए परिशिष्ट तालिका ए देखें, और एक उदाहरण के लिए नीचे चित्र 2 देखें।लाभार्थी लागत-साझाकरण के संदर्भ में, हम समग्र गणना के लिए समान परिणाम पाते हैं।प्रतिस्थापन योग्य जेनेरिक की तुलना में इन ब्रांडों के लिए प्रति लाभार्थी औसत खर्च काफी अधिक है।(परिशिष्ट तालिका ए को भी देखें।) उनके सामान्य समकक्षों के लिए $22.41 की तुलना में ब्रांड दवा लागत-साझाकरण औसतन $30.69 था।शीर्ष 20 दवाओं में से 17 के लिए, ब्रांड और तुलनीय जेनेरिक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च का अनुपात 117% (नामंदा) से 1,476% (लैमिक्टल) तक है जो लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रति-दवा बचत का संकेत देता है।तीन मामलों (एबिलिफाई, लोवेनॉक्स और ट्राइकर) में, जेनेरिक के लिए लाभार्थी की जेब से निकलने वाली लागत ब्रांड दवा की तुलना में मामूली रूप से अधिक होती है।हमारा मानना है कि यह जेनेरिक के लिए कवरेज अंतर (2016 में 42 प्रतिशत) में कुल दवा लागत और योजना कवरेज की परस्पर क्रिया के कारण है, जिसका अर्थ है कि रोगियों ने उस वर्ष जेनेरिक के लिए 58 प्रतिशत सह-बीमा का भुगतान किया था।यह 2016 में 25 प्रतिशत योजना कवरेज और ब्रांड दवाओं के लिए 50 प्रतिशत वैधानिक निर्माता छूट की तुलना करता है।"

ई.

च

जी.

28 HTTPS://डब्ल्यू. डब्ल्यू.प्रचार करें।org/आर्टिकल/डॉक्टर्स-हू-टेक-कंपनी-कैश-टेंड-टू-प्रिस्क्राइब-मोर-ब्रांड-नेम-ड्रग्स 16 पर एक्सेस किए गए:45 13.02-2022 पर

एच.

चिकित्सक भुगतान सनशाइन अधिनियम, 2010 अर्थात किफायती देखभाल अधिनियम, 2010 की धारा 6002 के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।यह कानून मेडिकेयर, मेडिकेड या चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम द्वारा कवर की गई दवाओं, उपकरणों, जीवविज्ञान और चिकित्सा आपूर्ति के निर्माताओं को तीन व्यापक श्रेणियों के भुगतान या "मूल्य के हस्तांतरण" पर सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज को रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करता है।इन श्रेणियों में सामान्य भुगतान शामिल हैं या

भोजन, यात्रा प्रतिपूर्ति जैसे मूल्य का हस्तांतरण, और

परामर्श शुल्क।इनमें निर्माताओं द्वारा वहन किए जाने वाले खर्च शामिल हैं, जैसे वक्ता शुल्क, यात्रा, उपहार, मानदेय, मनोरंजन, धर्मार्थ योगदान, शिक्षा, अनुदान और अनुसंधान अनुदान आदि।

ग

29. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (कैप स्कैन) और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (उपरोक्त) के फैसलों के साथ-साथ विवादित फैसले ने मुफ्त उपहारों की आपूर्ति के लिए लाभ के भत्ते के विषय पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति के मुद्दे को सही ढंग से संबोधित किया है।विवादित फैसले के तर्क को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

डी.

"निर्धारिती के अपने मामले में इस न्यायाधिकरण की समन्वय पीठ के निर्णय के साथ-साथ माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्णय का मूल उद्देश्य यह था कि पेशेवरों द्वारा उपहार/मुफ्त प्राप्त करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और कानून के खिलाफ भी है, जहां तक कि चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 में संशोधन, एक बार इस तरह के उपहार प्राप्त करने के बाद अनैतिक माना गया है, जाहिर है कि इसके लिए परिणाम भी अनैतिक होगा, इस तरह के उपहार देना या ऐसे डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसे कार्य करना।"

ई.

च

(जोर दिया गया) 30।इस प्रकार, कानून की एक शाखा का उपयोग कानून की दूसरी शाखा को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है-ऐसा करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा और

कानून उपहास में।29 मड्डी वेंकटरमन एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनामसीआईटी 30, ए

जी.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत निर्धारिती पर लगाए गए जुर्माने को व्यावसायिक व्यय के रूप में काटने की मांग की गई थी।इस न्यायालय ने कहाः

29 बिहारीलाल जयस्वाल बनाम सी. आई. टी., (1996) 1 एस. सी. सी. 443।

एच.

30 (1998) 2 एससीसी 95।

149

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

"इसके अलावा, एक क़ानून के तहत कटौती का लाभ, दूसरे क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए किसी भी खर्च या दूसरे क़ानून के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने की अनुमति देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।तत्काल मामले में, यदि दावा की गई कटौती की अनुमति दी जाती है, तो फेरा के दंडात्मक प्रावधान अर्थहीन हो जाएंगे।

(जोर दिया गया) 31।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त उपहार देने में दवा कंपनियों और चिकित्सा व्यवसायियों के बीच समझौता भी अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 का उल्लंघन है (जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कैप स्कैन (ऊपर) में भी उल्लेख किया है)।प्रावधान इस प्रकार हैः

ग

"23. कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या

नहीं।—किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि -

डी.

यह कानून द्वारा निषिद्ध है; या

ऐसी प्रकृति का है कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा; या

धोखाधड़ी है; या

ई.

इसमें किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना शामिल है या निहित है; या न्यायालय इसे अनैतिक मानता है, या सार्वजनिक नीति का विरोध करता है।इनमें से प्रत्येक मामले में, किसी समझौते पर विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी कहा जाता है।प्रत्येक समझौता जिसका उद्देश्य या विचार गैरकानूनी है, अमान्य है।

च

(बल दिया गया)हमारे सामने, एपेक्स ने लगातार कर प्रावधानों की व्याख्या को कथित अनैतिकता/सार्वजनिक नीति के उल्लंघन से अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।एपेक्स ने बार-बार टी. ए. कुरैशी पर भरोसा किया

जी.

(उपर्युक्त), मेसर्स के. एम. जैन (उपर्युक्त) और सी. आई. टी. बनाम पं. विश्वनाथ शर्मा 31.

हम पाते हैं कि इनमें से कोई भी निर्णय अपीलार्थी के मामले में अधिक अनुकूल नहीं है।टी. ए. कुरैशी ने एक व्यवसाय 'हानि' को संबोधित किया, न कि एक व्यवसाय 'व्यय' को जैसा कि धारा 37 (1) के तहत कल्पना की गई है।मेसर्स के. एम. में

31 1999 का आई. टी. आर. सं. 27, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिनांक 21.02.2008।

एच.

जैन, निर्धारिती कंपनी के कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं को दी गई फिरौती की राशि को मुख्य रूप से इस तथ्य के आधार पर कटौती की अनुमति दी गई थी कि निर्धारिती असहाय था और अपने कर्मचारी के जीवन को बचाने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर था।इस प्रकार, निर्धारिती कानून द्वारा निषिद्ध अपराध या गतिविधि में जानबूझकर भाग लेने वाला नहीं था। यही बात वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होती है।फार्मास्युटिकल कंपनियों ने किसी अपराध को सक्रिय रूप से कायम रखने के लिए विधायी अंतराल का दुरुपयोग किया है।पं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ विश्वनाथ शर्मा के सामने यह सवाल था कि क्या सरकारी डॉक्टरों को कमीशन के भुगतान को धारा 37 (1) के तहत छूट दी जा सकती है।उस समय, निजी प्रैक्टिस में लगे डॉक्टरों को इस तरह के कमीशन को स्वीकार करने से रोकने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था।इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ने निजी डॉक्टरों के लिए इस तरह की कटौती की सही अनुमति दी थी, लेकिन सरकारी डॉक्टरों के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती हैः

ग

"वर्तमान मामले में, सरकारी डॉक्टरों को कमीशन का भुगतान एक ही आधार पर नहीं किया जा सकता है।निर्धारिती द्वारा निजी डॉक्टरों को दिए गए कमीशन के संबंध में निर्धारिती को कटौती की अनुमति देते हुए अधिकारियों द्वारा पहले ही एक अंतर किया जा चुका है क्योंकि उनके मामले में, कमीशन के भुगतान को किसी भी क़ानून के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सरकारी डॉक्टरों के संबंध में इस तरह के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि यह ऊपर बताए गए क़ानूनों के तहत एक अपराध है।"

डी.

ई.

***

“इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि सरकारी डॉक्टरों को कमीशन के रूप में भुगतान, जिसमें निर्धारिती काम कर रहा था, उन दवाओं को निर्धारित करके उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए, इसे "व्यावसायिक व्यय" नहीं कहा जा सकता है और अधिनियम के तहत इसमें कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

च

(जोर दिया गया) 2002 के विनियम, जो सभी चिकित्सा व्यवसायियों (निजी प्रैक्टिस में डॉक्टरों सहित) पर लागू होते हैं, डब्ल्यू. ई. एफ. 14.12.2009 पेश किए गए थे।33. इस प्रकार, दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों आदि को मुफ्त उपहार देना स्पष्ट रूप से "कानून द्वारा निषिद्ध" है, और धारा 37 (1) के तहत कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं है।ऐसा करने से सार्वजनिक नीति पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी।कराधान कानूनों की व्याख्या का सुस्थापित सिद्धांत ए

जी.

एच.

151

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

– कि उनकी कड़ाई से व्याख्या करने की आवश्यकता है-यह तब कायम नहीं रह सकता जब यह संसद के इरादों के विपरीत बेतुकी बात हो।की एक बेंच

सी. डब्ल्यू. एस. में यह न्यायालय (इंडिया) लिमिटेड बनामसी. आई. टी. 32 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः“जबकि एक साहित्यिक रचना कर लगाने वाले अधिनियमों को समझने में सामान्य नियम हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अपनाया जाना चाहिए, भले ही यह भेदभावपूर्ण या असंगत परिणाम की ओर ले जाए।क़ानूनों की व्याख्या एक यांत्रिक अभ्यास नहीं हो सकती है।व्याख्या के सभी नियमों का उद्देश्य उपयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाना है।

न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने एक बार कहा थाः

ग

“एक शब्द एक स्फटिक, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह एक जीवित विचार की त्वचा है और परिस्थितियों और समय के अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्न हो सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।” 33

डी.

होम्स ने इस प्रकार शब्दों की मायावी प्रकृति का सारांश दिया, जो क़ानूनों की व्याख्या से संबंधित कई मुद्दों के केंद्र में है।34. कानून की व्याख्या के दो आवश्यक उद्देश्य हैंःएक इसके द्वारा शासित लोगों को स्पष्ट करना है, कानून के पत्र का अर्थ; दूसरा प्रकाश डालना और कानून निर्माता के इरादे को आकार देना है।और, इस प्रक्रिया में अदालतों की जिम्मेदारी उस सामाजिक उद्देश्य को समझने में निहित है जो विशिष्ट प्रावधान में निहित है।इस प्रकार, कानून का ठंडा अक्षर शब्दार्थ में एक अमूर्त अभ्यास नहीं है जिसमें अभ्यास करने वाले शामिल नहीं होते हैं।इसलिए देखा जाए तो कानून ने विभिन्न विचारों को जन्म दिया है जैसे कि निहित शर्तें, अस्पष्ट लेकिन पूरी तरह से तार्किक और उचित दायित्व, निहित सीमाएं आदि। निरंतर विकास, परिष्करण और इन अवधारणाओं को बाध्यकारी मानदंडों में आत्मसात करने की प्रक्रिया (कानून के निकाय के भीतर जैसा कि समझा और लागू किया जाता है) वैधानिक प्रावधानों में जीवन शक्ति और गतिशीलता का संचार करती है।इस गतिशीलता और प्रासंगिकता के बिना, कानून अप्रासंगिक और बासी हो जाते हैं।

ई.

च

35. बिहारी लाल जैसवाल और ओआरएस बनाम।आय आयुक्त

जी.

कर और अन्य 34, "कानून द्वारा निषिद्ध" के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा एक वैधानिक मामले में एक शर्त की व्याख्या के संदर्भ में विचार किया गया था।

32 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 296।

33 टॉमने बनाम आइस्पज़र, 245 यू. एस. 418 (1918)।34 (1995) पूरक (5) एससीआर 285।

एच.

लाइसेंस (शराब बेचने के लिए) जो उप-पट्टा देने या साझेदारी समझौते में प्रवेश करने के माध्यम से लाइसेंस के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है।आई. टी. अधिनियम के तहत ऐसी साझेदारी की मान्यता पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि इसकी अनुमति देने से ऐसी शरारत होगी जिससे बचा जाना चाहिएः

"यदि अनुज्ञप्तिधारी को व्यवसाय में अजनबियों को लाने की अनुमति दी जाती है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यवसाय करने के बजाय, इसे अन्य लोगों द्वारा चलाया जाएगा-एक ऐसी स्थिति जो उत्पाद शुल्क कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। यही कारण है कि कई राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियमों द्वारा लाइसेंस का हस्तांतरण या उप-पट्टा देना समान रूप से निषिद्ध है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि कोई भी समझौता जिसके तहत लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है, उप-पट्टा या साझेदारी उक्त लाइसेंस के तहत विशेषाधिकार/व्यवसाय के संबंध में की जाती है, प्रासंगिक उत्पाद शुल्क अधिनियम में निहित निषेध के विपरीत, कानून द्वारा निषिद्ध समझौता है।इस तरह के समझौते का उद्देश्य ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो यह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अर्थ के भीतर उत्पाद शुल्क कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा। इस तरह के समझौते को धारा 23 द्वारा गैरकानूनी और अमान्य घोषित किया गया है।सवाल यह है कि क्या इस तरह की गैरकानूनी या अमान्य साझेदारी को धारा 185 (1) के अर्थ के भीतर एक वास्तविक साझेदारी के रूप में माना जा सकता है और क्या आयकर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसी साझेदारी को पंजीकरण दिया जा सकता है।हम नहीं सोचते हैं।जब कानून किसी विशेष साझेदारी समझौते में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो कानून में उस प्रकृति का कोई साझेदारी समझौता नहीं हो सकता है।इसलिए इस तरह के समझौते के वास्तविक होने का सवाल नहीं उठ सकता है।

ग

डी.

ई.

च

यह भी एक ज्ञात सिद्धांत है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।जैसा कि फॉक्स बनाम चेस्टर 35 के बिशप में कहा गया था कि यह एक हैः

जी.

“कानून का सर्वविदित सिद्धांत कि संसद के किसी अधिनियम के प्रावधानों को बदलाव या साजिश से नहीं टाला जाएगा "

35 (1824) 2 बी एंड सी 635 ने जागीर सिंह बनाम रणबीर सिंह और अन्य में उद्धृत और आवेदन किया। 1979 (2) एससीआर 282।

एच.

153

मेसर्स एपेक्स लैबोरेटरीज पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.आय कर विभाग के आयुक्त, बड़ा कर दाता इकाई-II [एस. रवींद्र भाट, जे.]
ए.

क.

और वहः

“किसी क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, इसका यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि ऐसा करने या करने से बचने के सभी प्रयासों को अप्रत्यक्ष या घुमावदार तरीके से विफल कर दिया जाए, जिसे उसने निषिद्ध या आदेशित किया है।

यह न्यायालय, विशिष्ट के लिए एक कार्रवाई से उत्पन्न एक अपील में

एल. आर. एस. और अन्य 36 द्वारा जी. टी. गिरीश बनाम वाई. सुब्बा राजू (डी) में प्रदर्शन,

यह अभिनिर्धारित किया गया कि राहत देने का अर्थ होगा कानून द्वारा निषिद्ध कुछ करना (एक विशिष्ट अवधि के लिए परिवहन के खिलाफ प्रतिबंध)-इसका प्रभाव कानून के प्रावधानों को विफल करने का था।यह माना गया था किः

ग

“समझौते को जैसा है वैसा लेते हुए, यह आवश्यक रूप से निर्माण करने के लिए पहले प्रतिवादी के कानूनी दायित्व के अंतर्गत होगा।बेचने के समझौते में स्पष्ट रूप से ऐसी शर्तें शामिल थीं जो कानून द्वारा निहित रूप से निषिद्ध हैं क्योंकि पहले प्रतिवादी को साइट पर स्वामित्व देने के लिए और कानून के तहत स्पष्ट दायित्व पर कार्य करने से रोका गया था।यह किसी भी तरह से एक स्पष्ट मामला है जिसमें समझौते को स्पष्ट रूप से लागू करने का परिणाम कानून के आदेश को विफल करने में होता है।कानून का 'उदात्त' उद्देश्य, इसकी आत्मा सौदे की वेदी पर बलिदान कर दी गई थी जो एक अचल संपत्ति लेनदेन प्रतीत होता है।दूसरे शब्दों में, यह समझौते को फलने-फूलने देने में, यहां तक कि दस साल की गैर-अलगाव की अवधि के अंत में भी, एक समझौते का मामला होगा, जो पहले से उल्लिखित कारणों के लिए कानून को पूरी तरह से विफल कर देता है।

डी.

ई.

78. वादी और पहले प्रतिवादी के बीच हुए समझौते के पाठ के अनुसार, पहले प्रतिवादी द्वारा वादी को कब्जा सौंप दिया जाता है।कहा जाता है कि मूल अधिकार प्रमाण पत्र भी वादी को सौंप दिया गया है।वादी के अनुसार भी समझौते में यह विचार किया गया था कि पहले प्रतिवादी के पक्ष में स्थल के हस्तांतरण के तीन महीने के भीतर, पहले प्रतिवादी को वादी को स्थल में अपने अधिकारों से अवगत कराना था।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पक्षों ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जो पूरी तरह से असंगत है और कानून के जनादेश के साथ स्पष्ट टकराव में है।अपने कार्यकाल में, यह कानून के जनादेश के अपमान के रूप में सामने आता है।

च

जी.

एच.

79. अवैधता मामले की जड़ तक जाती है।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी को अवैध लेन-देन पर भरोसा करना चाहिए और वास्तव में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने में उसी पर भरोसा करना चाहिए।अवैधता तुच्छ या तुच्छ नहीं है।अवैधता को न तो टाला जा सकता है और न ही दूर किया जा सकता है।वादी को इसका सामना करना पड़ता है और उसे इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है।बात साफ है।हमें किसी भी संसदीय बहस पर भरोसा करने या कानून के स्पष्ट अर्थ से परे उद्देश्य की खोज करने की आवश्यकता नहीं है।कानून का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।यदि कुछ वस्तुनिष्ठ मानदंडों के संदर्भ में नियमों के तहत चयन की प्रक्रिया के बाद चुने गए प्रत्येक आबंटित व्यक्ति को इस तरह के सौदे करने होते हैं, तो यह निस्संदेह कानून को एक लटकता हुआ स्टॉक बना देगा।"

ग

36. वर्तमान मामले में भी, एपेक्स द्वारा डॉक्टरों को दिए गए प्रोत्साहन (या "मुफ्त उपहार"), प्राप्तकर्ताओं को प्रतिबंधों की गंध के संपर्क में लाने का सीधा परिणाम था, जिससे उनके चिकित्सा के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया।वे प्रतिबंध कानून द्वारा अनिवार्य हैं, क्योंकि वे आचार संहिता और नैतिकता में सन्निहित हैं, जो मानक हैं, और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं।जहां तक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा उनकी रसीद का संबंध है, निर्धारिती यानी प्रदाता या दाता की स्वीकृत भागीदारी स्पष्ट रूप से निषिद्ध थी।यह कि चिकित्सा व्यवसायियों को इस तरह के उपहार, या "मुफ्त उपहार" स्वीकार करने से मना किया गया था, उनके दाता, या दाता, यानी एपेक्स की ओर से निषेध से कम नहीं था।

डी.

ई.

37. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।लागत पर आदेश के बिना अपील खारिज कर दी जाती है।लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

च

देविका गुजराल

याचिका खारिज की जाती है।

जी.

एच.